कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–13, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–6637/ 495 दिनांकः 16-5-16

सेवा में

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुड़गॉव ।

विषय: Diversion of 0.072 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 2, PWD B&R Br., Gurgaon for providing side drain along Gurgaon-Farrukhnagar-Jhajjar road, km. 10.40 to 10.80 at Village Chandu, under forest division and District Gurgaon, Haryana.
Online Proposal No.FP/HR/Road/14473/2015

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक D-III-47/2016/114 दिनांक 27.04.2016

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6.5.2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उदेश्य हेतु 0.072 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती हैः–

(i) प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये ।

(iii) भारत सरकार पत्र संख्या 5–2/कैम्पा दिनांक 24.06.2011 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के (CAMPA Haryana लेखा संख्या SB01025209, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 या (Haryana-CAMPA) लेखा संख्या SB344902010105418 भारतीय यूनियन बैंक, सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और इस कार्यालय को निर्धारित प्रोफोमा द्वारा सूचित किया जाये ।

उपर्युक्त शर्तो की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0) o/c
कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

16-5-16

प्रतिलिपिः–

1. वन मण्डल अधिकारी, गुड़गॉव ।
2. Executive Engineer, Provincial Division No. 2, PWD B&R Br., Gurgaon